न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 156 / 2024	2024 / 269	19.11.2024	15.09.2025

1. हीरालाल मीना पुत्र श्री लादूराम निवासी जगन्नाथ जी का मंदिर, कटीघाटी रोड, अलवर हाल निवासी मीणा धर्मशाला के सामने मौहल्ला नयावास, जयपलटन अलवर

——अपीलांट

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र हीरालाल मीना
2. लक्ष्मी पत्नी मोहनसिंह मीना
3. आनन्दमोहन पुत्र मोहनसिंह मीना
4. राजीवमोहन पुत्र मोहनसिंह मीना निवासीयान जगन्नाथजी का मंदिर कटीघाटी रोड, अलवर

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 18.09.2024 बमुकदमा वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम

उपस्थितिः—
01—श्री कैप्टिन योगी —वकील अपीलांट
02—श्री मदन सिंह —वकील रेस्पोडेंट

::— निर्णय ::—

अपीलाण्ट् द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.2024 प्रकरण संख्या 03 / 44 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभयपक्ष द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया और जिसमें यह कथन किया कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 मेरा लडका तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 उसकी पत्नी व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 मेरे पौत्र हैं। अपीलांट आर.ए.सी. पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त है तथा अपीलांट को अल्प पेंशन प्राप्त होती है। अपीलांट के दो पुत्र फतेहसिंह व मोहनसिंह हैं। अपीलांट का पुत्र फतेहसिंह दूसरी जगह निवास करता है जबकि मोहनसिंह अपने परिवार के साथ अपीलांट के खरीदशुदा व निर्मितशुदा मकान जो जगन्नाथ मंदिर कटीघाटी रोड, अलवर में स्थित है, मैं निवास करते हैं। अपीलांट को जो पेंशन राशि प्राप्त होती है वह भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके परिवार पर ही खर्च की जाती है, किन्तु उसके बाद भी रेस्पोडेंट का व्यवहार अपीलांट के प्रति काफी खराब, अशोभनीय व अमानवीय हो गया है तथा रेस्पोडेंट आये दिन अपीलांट के साथ मारपीट करते हैं और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। दिनांक 05—07—2022 को भी रेस्पोडेंट ने अपीलांट के साथ मारपीट करते हुए धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मुझे अपना सामान व कागजात आदि भी नहीं लेने दिया, जिसके संबंध में एक रिपोर्ट थाना अरावली विहार में दर्ज कराई गई है। दिनांक 05—7—2022 से अपीलांट अपने स्वयं के स्व—अर्जित मकान से बेघर—बार होकर रिश्तेदार के यहां रूका हुआ है। अपीलांट ने यह निवेदन किया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रेस्पोडेंट को अपीलांट के स्व–अर्जित मकान से बेदखल करते हुए कब्जा दिलाया जावे एवं कम से कम 10 हजार रूपये मासिक गुजारा भत्ता दिलाया जावे एवं रेस्पोडेंट को पाबंद फरमाया जावे कि वो अपीलांट को किसी प्रकार से मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से अपमानित व प्रताडित नहीं करें और अपीलांट को व उसके सामान व मकान के उपयोग व उपभोग आदि करने में किसी प्रकार की मजहामत व रूकावट पैदा ना करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–09–2024 के तहत अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थी को 4000/– रूपये मासिक बतौर भरण–पोषण राशि दिलाये जाने व मकान में रहने तथा उपयोग व उपभोग आदि करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें के लिए पाबंद किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जिसके खिलाफ यह अपील पेश है। क्योकि अपीलान्ट को रेस्पोडेंट से जीवन का खतरा है एवं चार हजार रूप्ये कब से देय है, यह भी अंकित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18–09–2024 की नकल मुझे उसी समय प्राप्त हो गई थी, किन्तु वो नकल पता नहीं किन कागजात के साथ गुम हो गई और काफी प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकी, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 06–11–2024 को पुनः नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 11–11–2024 को नकल प्राप्त होने पर आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है, जो उपरोक्त प्रकार से अन्दर मियाद पेश है तथा उपरोक्त समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया है, जो गलत है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्णतः स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में दर्ज सभी अनुतोष सादिर फरमाया जाना आवश्यक था। जो काबिल गौर श्रीमान हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों से यह साबित पाया जाता है कि विवादित मकान स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर कटीघाटी रोड मिन अपीलांट का स्व–अर्जित मकान है। जो मैंने अपनी स्व–अर्जित आय से प्लॉट के रूप में 60 बाई 42 फुट का जरिये इकरारनामा दिनांक 15–11–1983 को खरीद किया था एवं बाद खरीद उपरोक्त प्लॉट पर अपनी स्वयं की आय से पुख्ता मकानात का निर्माण कराया है, जो एक मंजिला पूरा बना हुआ है, रेस्पोडेंट का उक्त मकान की खरीद में अथवा निर्माण में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं रहा है और ना उन्होंने कोई खर्चा किया है। रेस्पोडेंट यद्यपि मेरे पुत्र, पुत्रवधू व पौत्र हैं किन्तु उनका व्यवहार मिन अपीलांट के प्रति काफी खराब व अपमानजनक है और वो आये दिन अपीलांट के साथ झगडा–फिसाद करते हैं तथा मारपीट करते हैं और गाली गुफ्तार करते हैं तथा अपीलांट को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतित नहीं करने देते हैं, जिस कारण अपीलांट रेस्पोडेंट को अपने मकान में नहीं रहने देना चाहता है तथा अपने मकान का कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया एवं रेस्पोडेंट का यह दर्ज करना गलत है कि खाली प्लॉट पर परिवार के सभी सदस्यों की आय से प्रश्नगत मकान का निर्माण किया गया था। जबकि इस संबंध में कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट की ओर से पेश नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि उक्त मकान का निर्माण परिवार के सभी सदस्यों की आय से कराया गया है। इन हालात में अपीलांट का सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को उपरोक्त मकान का कब्जा वापिस दिलाया जाना आवश्यक था जो काबिल गौर श्रीमान है।अतः निवेदन है कि अपील/अपीलांट स्वीकार फरमाई दजाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–09–2024 संशोधित फरमाते हुए अपीलांट का पूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया जावे एवं रेस्पोडेंट को अपीलांट के मकान से बेदखल किये जाने व अपीलांट को कब्जा दिलाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त 2019 (2) डीएनजे राजस्थान 614, 2018 (4) डीएनजे राजस्थान 1526, 2019 (1) सीजे सिविल राजस्थान 408, 2025 (1) सीजे सिविल एससी 55 पेश किये गये।

रेस्पोडेंट के विद्वान वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है तथा अपीलान्ट ने अपने बच्चों का विवरण सही नहीं बताया है। सही बात यह है कि अपीलान्ट के दो पुत्र है मोहन सिंह व फतेह सिंह। मोहन सिंह के दो पुत्र है आनन्द मोहन व राजीव मोहन तथा फतेह सिंह के भी एक पुत्र लोकेश व पुत्री मेनका व

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रामेश्वरी है। जिसमें मेनका व रामेश्वरी का विवाह हो चुका है। प्रकरण में तथ्यों को झूठा लिखा गया है तथा पुत्र फतेह सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्योंकि अपीलान्ट हीरालाल अब कुछ माह से फतेह सिंह के पास रह रहा है। किन्तु उससे पूर्व हमेंशा मोहन के परिवार के साथ रहता था। मोहन सिंह के पास उसकी माता मन्नी देवी निवास करती है जिसका समस्त भरण पोषण वर्तमान में मिन मोहन सिंह द्वारा किया जा रहा है। अपीलान्ट जो कि राजस्थान आर्मकोड से हवलदार पद से रिटायर्ड है जिससे करीबन 38,000/–रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है तथा अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अल्प पेंशन भोगी नहीं है। अपीलांट के पास आय के पर्याप्त साधन है। अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेंट सं. 1 अपीलान्ट के खरीदशुदा निर्मित मकान में उसकी मौखिक सहमति से रह रहा है एकदम गलत है सही बात यह है कि दिनांक 15.11.1983 को एक प्लाट 6250/–रुपये में खरीद किया गया था किन्तु उस खाली प्लॉट पर परिवार के सभी सदस्यों की आय से ही उक्त मकान का निर्माण किया गया था। क्योंकि रेस्पोडेंट अपनी समस्त वेतन व आय अपने पिता अपीलान्ट को ही दे देता था। इस प्रकार सभी परिवार के सदस्यों की सामुहिक आय व प्रयास से उक्त मकान का निर्माण किया गया। अपीलान्ट की निजी लागत उक्त मकान में नहीं लगी बल्कि रेस्पोडेंट जो पिछले 20 वर्ष से अपना समस्त वेतन अपने पिता को देता था उसके वेतन से ही उक्त मकान निर्माण कार्य किया गया था। दिनांक 05.07.2022 को अपीलान्ट को बेघर नहीं किया गया ना ही उसके साथ मारपीट की वो स्वयं की ईच्छा से अन्यत्र रह रहा है। रेस्पोडेंट ने कभी भी अपीलान्ट के साथ कोई मारपीट नहीं की। सही बात यह है कि अपीलान्ट एक जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। रेस्पोडेंट ने कभी भी अपीलान्ट को तंग व परेशान नहीं किया बल्कि अपीलान्ट स्वयं ही नशा आदि करने का अभ्यस्त है तथा वह रेस्पोडेंट संख्या 01 की माता के साथ भी अभद्र व्यवहार व गाली गलोच व मारपीट करता आ रहा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 की माता ने हमेशा अपीलान्ट की सेवा की किन्तु अब अपीलान्ट अपने अन्य पुत्र फतेह सिंह के साथ निवास कर रहा है। रेस्पोडेंट ने कभी भी अपीलान्ट के साथ कोई गल्त व्यवहार नहीं किया। दिनांक 15.11.1983 को एक प्लाट 6250/–रुपये में खरीद किया गया था उस खाली प्लॉट पर परिवार के सभी सदस्यों की आय से ही उक्त मकान का निर्माण किया गया था। उक्त मकान में अपीलान्ट की पत्नि निवास करती है और पत्नि को मकान में रहने का कानूनी अधिकार है। जिससे मकान खाली कराने बाबत पत्नि के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट स्वयं की ईच्छा से रिश्तेदारों के यहाँ जाकर जानबूझकर निवास करता है। मिन रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट की पत्नि मन्नी देवी ने कभी भी अपीलान्ट के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। दिनांक 18.09.2024 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 4000/– रुपये मासिक भरण पोषण दिए जाने के आदेश पारित किए है जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट भरण पोषण का अधिकारी नहीं है क्योंकि अपीलान्ट को 38000/– रुपये प्रतिमाह पैंशन मिलती है ओर भरण पोषण बाबत केवल उसी व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित किया जा सकता है जिसके पास कोई आय के साधन नहीं हो। अपीलान्ट के जीवन को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अपीलान्ट एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है जिसने पूरे परिवार को परेशान कर रखा है अपनी पत्नि पुत्र व पोतो को परेशान कर रखा है तथा बेजारूप से झूठे प्रार्थना पत्र पेश कर झूठे मुकदमों की धमकी से उन्हें परेशान करता है। अपीलान्ट को 18.09.2024 की जानकारी पूर्णरुप से थी जिसकी अपीलान्ट ने नकल भी प्राप्त कर ली थी तथा समय अवधि में अपील पेश नहीं की गयी है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत डिले कन्डोन करने के कोई उचित कारण अंकित नहीं किए है जिस कारण अपीलान्ट की अपील अन्दर अवधि पेश नहीं की गयी है जो खारिज किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 01 ने कभी भी अपने पिता को गन्दे शब्दों से सम्बोधित नहीं किया और आज भी अपने पिता का सम्मान करता है और अपने पिता से निवेदन करता है कि वह भगवान को ध्यान में रखकर मुकदमे बाजी को छोड देवे तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 व उसकी माता को नाजायज परेशान ना करे अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 01 की माता का भी भरण पोषण बंद कर दिया है। अपीलान्ट जो की पुलिस से सेवानिवृत है जो परिवार में शांति नहीं रखकर हमेशा गाली गलोच, परिवारजन के साथ अभद्र व्यवहार तथा अपनी पत्नि मन्नी देवी के साथ भी गलत व्यवहार करता

अतिरिक्त कलक्टर
अलवर (राज०)

है। रेस्पोडेंट ने कभी भी अपीलान्ट के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार नहीं किया बल्कि अपीलान्ट ही रेस्पोडेंट संख्या 01 की माता मन्नी देवी के साथ मारपीट व गाली गलोच करता रहा है और जब रेस्पोडेंट बीच बचाव करते है तो अपीलान्ट मोहन सिंह, लक्ष्मी, आनन्द मोहन व राजीव मोहन के साथ भी मारपीट व गाली गलोच करता है। अपीलान्ट ने अनेको बार अपनी पत्नि मन्नी देवी व रेस्पोडेंट संख्या 01 की पत्नि लक्ष्मी के साथ भी गन्दे शब्दों का उपयोग किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने कभी भी घर से नहीं निकाला बल्कि वह स्वयं ने मन्नी देवी व लक्ष्मी के साथ गाली गलोच, अश्लील शब्दों का उपयोग व मारपीट की थी। जिस कारण से इस बात से डर के की उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज ना हो जावे वह घर से भाग कर अपने दूसरे पुत्र फतेह सिंह के पास रहने लग गया। अपीलान्ट का यह कहना कि वह अपने रिश्तेदार के घर रूका हुआ है एकदम गलत है बल्कि वह अपने पुत्र फतेह सिंह के पास रहकर बड़े आराम से निवास कर रहा है और अपीलान्ट ने अपने पत्नि मन्नी देवी का भरण पोषण बंद कर दिया है। मिन अप्रार्थीगण को ही अपनी माता मन्नी देवी का भरण पोषण करना पड रहा है। अपीलान्ट जो कि नशा आदि करता है तथा साधु संतो के साथ रहता है तथा साधु संतो के साथ ही असामाजिक कार्यों में लिप्त हो चुका है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से मकान का कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त मकान का समस्त निर्माण कार्य रेस्पोडेंट संख्या 01 व परिवार के अन्य सदस्यों की आय से पूर्ण किया गया है। अतः जवाब अपील पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेंट का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाकर कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम दफा 5 पर विचार किया गया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2024 की नकल मुझे प्राप्त हो गई थी। किन्तु अन्य कागजात में गुम हो जाने के कारण नकल को काफी ढूढने के पश्चात् भी मुझे नकल प्राप्त नहीं होने पर पुनः दिनांक 06.11.2024 को नकल हेतु आवेदन किया गया। जो नकल दिनांक 11.11.2024 को प्राप्त होने पर यह अपील बिना देरी पेश की गई। अपीलांट ने मियाद अवधि के लगभग एक माह बाद अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ हैं। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

अपीलाण्ट् द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.2024 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के मकान से रेस्पोडेंट को बेदखल कर कब्जा नहीं दिलाया गया हैं। जिस पर अपीलांट को कब्जा दिलवाया जावें। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन में पाया है कि प्रकरण मकान से बेदखली का प्रतीत होता है। उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पक्षकारान का पारिवारिक निवास का मामला पारिवारिक/दीवानी अदालत में उनके अन्य विवादास्पद विवादों के अधीन होगा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत उक्त बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अपीलाण्ट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपने परिवाद में भरण–पोषण एवं विवादित स्व–अर्जित स्थित मकान जगन्नाथ मंदिर कटीघाटी रोड, अलवर से रेस्पो0 की बेदखली चाही है। यह अधिनियम की धारा 23 में वर्णितानुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया है। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (Eviction) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पक्षकारों के मध्य उक्त विवादित मकान के संबंध में पक्षकारों के अधिकार सिद्ध होने हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 18.09.2024 उचित प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 18.09.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)